रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1974/श्रावण 23, 1896
No. 353] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1974/SRAVANA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 9th August 1974

S.O. 490(E).—Whereas by the notified **Order of the Government** of India in the Ministry of Industrial Development No. 555(E), dated the 14th August, 1972 (hereinafter referred to as the said notified Order), read with the notified Order of the Government of India in the Ministry of Heavy Industry No. S.O. 436(E), dated the 10th August, 1973 the Central Government had declared that the operation of all contracts assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders of other instruments in force to which Messers Gresham and Craven of India Private Limited, Calcutta is a party or which may be applicable to it immediately before the 31st day of March, 1971, shall remain suspended for a period of two years from the date of publication of the said notified Order in the Official Gazette;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said notified Order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18-FB of the Industries Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said notified Order by a further period of one year from the 14th August, 1974.

[No. 2/5/72-HM-III]
S. M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1974

का० आ० 490(अ).—यत: भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अधिसूचित आदेश संख्या का०आ० 436 (ङ), तारीख 10 अगस्त, 1973 के साथ पठित, औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिसूचित आदेश संख्या 555(अ), तारीख 14 अगस्त, 1972 द्वारा (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचित आदेश के रूप में निर्दिष्ट है) केन्द्रीय सरकार ने यह घोषित किया था कि ऐसी सभी प्रवृत्त संविदाएं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्र, करार, व्यवस्थाएं, पंचाट, स्थायी आदेश आ अन्य लिखत, जिनमें मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेबिन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता पक्षकार है या जो 31 मार्च, 1971 के ठीक पूर्व उसे लागू हो सकते थे, उक्त अधिसूचित आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रहेंगे;

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचित आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क्ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचित आदेश की अस्तित्वावधि 14 अगस्त, 1974 से एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाती है।

[सं० 2/5/72-एचएम-III]

एम० एम० घोष, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974